<u>भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 6/40/2024- डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 26.09.2025

अंतिम जांच पणिाम

मामला संख्या एडी (ओआई) -37/2024

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "हाइड्रॉक्सिल वेल्यू >= 23 के कोपोलिमर पॉलीओल" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

फा. सं. 6/40/2024- डीजीटीआर: - समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 ("पाटनरोधी नियमावनी, 1995" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" या "नियमावली") को ध्यान में रखते हुए;

1. मेसर्स एक्सपेंडेड पॉलीमर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड ("घरेलू उद्योग" अथवा "आवेदक") ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम" के रुप में कहा जाएगा) और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" के रूप में कहा जाएगा) के समक्ष चीन जन. गण. ("संबद्ध देश") के मूल के अथवा वहां से निर्यातित

"हाइड्रॉक्सिल वेल्यू >= 23 के कोपोलिमर पॉलीओल" ("विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तुएं" अथवा "पीयूसी") के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने के लिए आवेदन दायर किया था।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर, भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर 2024 की अधिसूचना सं. 6/40/2024- डीजीटीआर के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5 के अनुसार संबद्ध जांच की शुरूआत की गई ताकि संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उपयुक्त राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

3. इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है:

क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरूआत करने से पहले, भारत में स्थित संबद्ध देश के दूतावास को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन के प्राप्त होने के संबंध में सूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हुए, दिनांक 30 सितंबर, 2024 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसे भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया।

ग. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 (12 माह) की है। वर्तमान जांच के लिए क्षति जांच की अवधि अप्रैल 2020 - मार्च 2021, अप्रैल 2021 - मार्च 2022, अप्रैल 2022 - मार्च 2023 और जांच की अवधि है।

घ. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 10 अक्टूबर 2024 को भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात आयातकों/ उपयोगकर्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों से यह अनुरोध किया गया कि वे जांच शुरुआत अधिसूचना में निर्धारित रुपमें और निर्धारित तरीके से संगत सूचना प्रदान करें और जांच शुरुआत अधिसूचना के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने अनुरोध प्रस्तुत करें।

ङ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(3) के अनुसार आवेदक द्वारा दायर किए गए आवेदन के अगोपनीय पाठ की प्रति ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/ उपयोगकर्ताओं और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को भी परिचालित की।

च. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया कि वे अपने देश के निर्यातकों/ उत्पादकों को जांच शुरुआत अधिसूचना के तहत निर्धारित की गई समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करने का परामर्श दें।

छ. हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों के अगोपनीय पाठ को परिचालित किए जाने के 7 दिनों के भीतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मामलों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया।

ज. प्राधिकारी ने प्रस्तावित शुल्कों के आर्थिक प्रभाव पर सूचना प्राप्त करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को एक आर्थिक हित प्रश्नावली (जिसे इसके बाद 'ईआईक्यू' कहा गया है) भी जारी की।

झ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी:

1. चांगहुआ केमिकल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड,
2. शीज़ीयाज़ूआंग हेजिया केमिकल
3. शंघाई एमडीएम केमिकल कंपनी लिमिटेड,
4. शेडोंग लोंगहुआ न्यू मैटेरियल कंपनी लिमिटेड,
5. जियांग्सू झोंगशान न्यूमैटेरियल कंपनी लिमिटेड

ञ. विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया है:

1. वानहुआ केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड
2. वानहुआ केमिकल (सिंगापुर) प्रा. लिमिटेड
3. वानहुआ केमिकल (यंताई) ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
4. वानहुआ इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
5. जियाहुआ केमिकल (बिनझोउ) कंपनी लिमिटेड
6. शंघाई फुजिया फाइन केमिकल कंपनी लिमिटेड
7. जिया हुआ केमिकल क्वानझोउ कंपनी लिमिटेड
8. जियाहुआ पैसिफिक (सिंगापुर) प्रा. लिमिटेड

ट. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ उपयोगकर्ताओं को नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना प्रदान करने के लिए प्रश्नावली भेजी:

1. शीला फोम लिमिटेड
2. प्राइम कम्फर्ट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3. वेकफिट इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4. आर. पी. फोम होम प्राइवेट लिमिटेड
5. ड्यूरोफ्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड
6. वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
7. आदी पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
8. पोन प्योर केमिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
9. कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
10. रॉयल सिंथेटिक्स
11. प्राइम कम्फर्ट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
12. मोका बिज़नेस प्राइवेट लिमिटेड

ठ. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि केवल शीला फोम लिमिटेड ने ही संबद्ध जांच में पंजीकरण कराया है और प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करके जांच में भाग लिया है।

ड. संबद्ध देश के जिन उत्पादकों/ निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है अथवा जांच में सहयोग नहीं किया है, उन्हें जांच में असहयोगी माना गया है।

ढ़. एक अन्य आयातक, कोवेस्ट्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने केवल विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में अनुरोध प्रस्तुत किए हैं।

ण. हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और उत्पाद नियंत्रण संख्या ("पीसीएन") पद्धति के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए जांच शुरुआत अधिसूचना की तारीख से 15 दिन का समय दिया गया था। पीयूसी/ पीसीएन पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 15.10.2024 है।

त. प्राधिकारी को पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त हुईं हैं। तदोपरांत, प्राधिकारी ने दिनांक 19 नवंबर, 2024 को पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे पर एक बैठक आयोजित की। इसके बाद, प्राधिकारी ने बैठक से पहले और बाद में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई समय-सीमा के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियों/ अनुरोधों की जांच करने और बैठक के दौरान हुई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए,दिनांक 26 नवंबर 2024 की अपनी सूचना के माध्यम से पीयूसी और पीसीएन पद्धति के अंतिम दायरे के संबंध में अधिसूचित किया।

थ. डीजी सिस्टम्स से क्षति अवधि और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेन-देन-वार विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। वित्तीय वर्ष 20-21 को छोड़कर, प्राधिकारी को यह विवरण प्राप्त हो गया था। तदनुसार, द्वितीयक स्रोत के आधार पर वित्तीय वर्ष 20-21 के आंकड़ों के साथ वर्तमान प्रकटीकरण विवरण के लिए इस पर विचार किया गया।

द. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 12 अगस्त, 2025 को आयोजित की गई मौखिक सुनवाई के माध्यम से संबद्ध जांच के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से अपने विचार

प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जिन हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों का लिखित आवेदन प्रस्तुत करें, जिसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध, यदि कोई हो, तो प्रस्तुत करें। हितबद्ध पक्षकारों को लिखित आवेदनों का अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा करने का भी निर्देश दिया गया।

ध. भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए उत्पादन की लागत और नियोजित पूंजी पर उचित प्रतिफल के आधार पर क्षति-रहित कीमत (जिसे इसके बाद "एनआईपी" के रुप में कहा गया है) का निर्धारण किया गया है, जो सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर आधारित है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

न. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की आवश्यकता के अनुसार जांच और सत्यापन किया गया है और वर्तमान प्रकटीकरण विवरण के लिए उस पर भरोसा किया गया है।

प. संबद्ध देश के सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की भी आवश्यकता के अनुसार जांच की गई और सत्यापन किया गया है और वर्तमान प्रकटीकरण विवरण के प्रयोजन के लिए उस पर भरोसा किया गया है।

फ. प्राधिकारी ने दिनांक 10 अप्रैल 2020 की व्यापार सूचना सं. 01/2020 के माध्यम से विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पारस्परिक आधार पर प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना/ अनुरोधों की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। प्राधिकरण ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर किए गए गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में संतुष्ट होने पर, ऐसी सूचना/ अनुरोधों को गोपनीय माना है। गोपनीयता के दावों को स्वीकार न किए जाने की स्थिति में, हितबद्ध पक्षकारों को उसका अगोपनीय

पाठ प्रस्तुत करने और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित करने का निर्देश दिया गया था।

ब. प्राधिकारी ने केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों से युक्त प्रकटीकरण विवरण दिनांक 19 सितंबर, 2025 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया। प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटीकरण-उपरांत की टिप्पणियों की, जहां तक संगत समझा गया, जांच की है। कोई भी अनुरोध, जो केवल पिछले अनुरोध की पुनरावृत्ति मात्र था और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, संक्षिप्तता के लिए दोहराई नहीं गई है।

भ. प्राधिकारी ने इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी संगत तर्कों और उपलब्ध कराई गई सूचनाओं पर, इस सीमा तक विचार किया है कि वे साक्ष्यों के साथ हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत माने गए हैं।

म. प्रकटीकरण विवरण में '***' एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना को दर्शाता है और प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 के अंतर्गत गोपनीय माना गया है।

य. विषयगत जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि के लिए विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 83.70 रुपये है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

4. विचाराधीन उत्पाद, जैसा कि जांच शुरुआत के चरण में परिभाषित किया गया है, इस प्रकार है-

2. विचाराधीन उत्पाद "हाइड्रॉक्सिल वेल्यू >= 23.5" का कोपोलिमर पॉलीओल है। विचाराधीन उत्पाद को बाज़ार की भाषा में पॉलिमर पॉलीओल के रुप में भी कहा जाता है।

3. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग मुख्य रूप से लचीले फोम के निर्माण में किया जाता है, जिसका उपयोग मुख्यतः मेट्रेस के निर्माण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ब्रा-कप के निर्माण के लिए भी किया जाता है। यह एक पॉलिमर पॉलीओल है जिसे स्लैब पॉलीयूरेथेन फोम की निर्माण प्रक्रिया

में मिलाए जाने पर स्लैब फोम की कठोरता में सुधार होता है। संबद्ध वस्तुएं अध्याय शीर्षक 39 के अंतर्गत एचएस कोड 39072910 और 39072990 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह किसी भी तरह से उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ग.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

   क. हाइड्रॉक्सिल वेल्यू >= 23.5 के कोपोलिमर पॉलीओल के विवरण में पॉलीइथर पॉलीओल और पॉलिएस्टर पॉलीओल दोनों शामिल हैं। तथापि, जांच शुरुआत अधिसूचना और आवेदक द्वारा दायर किए गए आवेदन में विचाराधीन उत्पाद के स्पष्टीकरण का पूरी तरह से पठन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पॉलिएस्टर पॉलीओल विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं आता है।

   ख. पीयूसी/ पीसीएन पत्र और उसके निष्कर्षों में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया जाए कि हाइड्रॉक्सिल वूल्यू >= 23.5 का पॉलिएस्टर पॉलीओल विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं आता है।

ग.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

   क. केवल कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने पीयूसी/ पीसीएन बैठक के दौरान मौखिक अनुरोध किए हैं और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर लिखित अनुरोध दायर किए हैं।

   ख. प्राधिकारी द्वारा यह स्पष्ट किया जाए कि हाइड्रॉक्सिल वूल्यू >= 23.5 का पॉलिएस्टर पॉलीओल विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं है।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

7. प्राधिकारी ने यहां हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति के संबंध में प्रस्तुत किए गए अनुरोधों की निम्नानुसार जांच की है:

8. पीसीएन के संबंध में, यह देखा गया है कि न तो घरेलू उद्योग और न ही अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने पीसीएन का प्रस्ताव रखा है। अत: पीसीएन की आवश्यकता नहीं है।

9. कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में यह स्पष्ट किया जाना है कि हाइड्रॉक्सिल वेल्यू >= 23.5 का पॉलिएस्टर पॉलीओल, विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे में नहीं आता है। यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद पर अपनी टिप्पणियों में यह स्वीकार किया है कि यह विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं आता है। तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि हाइड्रॉक्सिल वेल्यू >= 23.5 का पॉलिएस्टर पॉलीओल, विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है।

10. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में समान वस्तु की परिभाषा इस प्रकार दी गई है:

> *"समान वस्तु" से तात्पर्य ऐसी वस्तु से है जो भारत में पाटित की जा रही जांचाधीन वस्तु के समान हो या सभी पहलुओं में उसके जैसी हो, अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में, कोई अन्य वस्तु जो यद्यपि सभी पहलुओं में समान नहीं है, लेकिन उसकी विशेषताएं जांचाधीन वस्तु से काफी मिलती-जुलती हैं।*

11. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद, भौतिक विशेषताओं, कार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित वस्तुएं पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार समान वस्तुएं हैं। ये दोनों ही तकनीकी और व्यावसायिक

दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के दायरे और तात्पर्य से संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तुएं हैं।

12. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी दिनांक 26 नवंबर 2024 की अपनी सूचना में परिभाषित विचराधीन उत्पाद के दायरे की पुष्टि करते हैं। इसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है।

"विचाराधीन उत्पाद "हाइड्रॉक्सिल वेल्यू >= 23.5" का कोपोलिमर पॉलीओल है। विचाराधीन उत्पाद को बाज़ार की भाषा में पॉलिमर पॉलीओल भी कहा जाता है।

विचाराधीन उत्पाद का उपयोग मुख्य रूप से लचीले फोम के निर्माण के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग मुख्यतः मैट्रेस के निर्माण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ब्रा-कप के निर्माण के लिए भी किया जाता है। यह एक पॉलिमर पॉलीओल है जिसे स्लैब पॉलीयूरेथेन फोम की निर्माण प्रक्रिया में मिलाए जाने पर स्लैब फोम की कठोरता में सुधार आता है। संबद्ध वस्तु को अध्याय शीर्षक 39 के अंतर्गत एचएस कोड 39072910 और 39072990 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
तथापि, हाइड्रॉक्सिल वूल्यू >= 23.5 का पॉलिएस्टर पॉलीओल विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है।"

घ. <u>घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति</u>

घ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

13. घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. एक्सपेंडेड पॉलीमर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को पात्र घरेलू उद्योग के रुप में नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह पूर्णतः एकीकृत घरेलू निर्माता के बजाय मुख्यतः एक मध्यवर्ती उत्पादक के रूप में कार्य करता है।

ख. पॉलीयूरेथेन उत्पादों के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल का 95% से अधिक आवेदक द्वारा उत्पादित किया जाता है, अत: इसे पात्र घरेलू उद्योग के रुप में नहीं माना जाएगा।

घ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

14. घरेलू उद्योग और स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. क्षति अवधि के दौरान यह भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक भारतीय उत्पादन का 100% उत्पादन करता है।

ख. आवेदक ने क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया था। इसके अलावा, आवेदक जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के किसी भी आयातक या निर्यातक से संबंधित नहीं है।

ग. प्राधिकारी ने जांच शुरू करते समय, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के तात्पर्य से आवेदक को एक पात्र घरेलू उद्योग के रूप में उचित रूप से माना है।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

15. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में "घरेलू उद्योग" की परिभाषा इस प्रकार दी गई है:

"(ख) "घरेलू उद्योग" से तात्पर्य समग्र रूप से ऐसे घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे संबंधित किसी भी गतिविधि में लगे हैं या ऐसे उत्पादक से हैं जिनका उक्त वस्तु के सामूहिक उत्पादन में उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है, सिवाय इसके कि ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु

के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या स्वयं उसके आयातक हों, ऐसी स्थिति में 'घरेलू उद्योग' शब्द का तात्पर्य शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

16. हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि एक्सपेंडेड पॉलीमर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को पात्र घरेलू उद्योग के रुप में नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह मुख्यतः एक पूर्णतः एकीकृत घरेलू विनिर्माता के बजाय एक मध्यवर्ती उत्पादक के रूप में कार्य करता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कानून के तहत ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि केवल एक पूर्णतः एकीकृत घरेलू विनिर्माता ही घरेलू उद्योग के रुप में माने जाने के लिए पात्र हो।

17. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस दावे के संबंध में कि आवेदक पॉलीयूरेथेन उत्पादों के अपने उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल का 95% से अधिक हिस्सा स्वयं वहन करता है, और इसलिए उसे पात्र घरेलू उद्योग नहीं माना जाएगा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग के कच्चे माल की लागत का हिस्सा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए दावे से बहुत कम है। यह भी नोट किया जाता है कि कानून के तहत किसी घरेलू उत्पादक को पात्र घरेलू उद्योग के रुप में मानने के लिए मूल्यवर्धन मानदंड प्रदान नहीं किया गया है।

18. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक ने यह घोषणा की है कि वह न तो चीन जन. गण. में विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक/ निर्यातक से संबंधित है; न ही वह भारत में किसी आयातक से संबंधित है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश से आयात नहीं किया है, जैसा कि आयात आंकड़ों के विश्लेषण से प्रमाणित होता है।

19. अतः, रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक, नियम 2(ख) के तात्पर्य से घरेलू उद्योग है, और आवेदक नियम 5(3) के अनुसार निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है।

ङ. <u>गोपनीयता</u>

ङ.1. अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध

20. हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि उत्पादकों/ निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने शेयरधारिता विवरण और उत्पाद सूची जैसी आवश्यक सूचना पर गोपनीयता का गलत दावा किया है, जिससे सार्थक टिप्पणियां नहीं हो पा रही हैं।

ख. संगत कानूनों और लागू व्यापार सूचनाओं के अनुसार पूर्ण प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया गया है। अतः, मानक प्रथाओं के अनुसार गोपनीयता का दावा किया गया है।

ग. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत गोपनीयता के दावों की जांच करें। तदनुसार, संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी, जहां भी आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर सकते हैं। जहां तक संभव हो, प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकते हैं।

ड़.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

21. गोपनीयता के दावों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. उत्पादकों/ निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने शेयरधारिता विवरण आदि जैसी आवश्यक सूचना की गोपनीयता का दावा किया है।

ख. उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर को अस्वीकार किए जाने का अनुरोध किया जाता है क्योंकि ये कानून के अनुरूप नहीं हैं क्योंकि उत्पादक/ निर्यातक अनिवार्य प्रावधानों का पालन करने में बुरी तरह विफल रहे हैं।

ड़.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

22. प्राधिकारी ने विभिन्न पक्षकारों के बीच ई-मेल पत्राचार के माध्यम से विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय पाठ निरीक्षण किए जाने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया।

23. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"(1) नियम 6 के उप नियम (2), (3) एवं (7), नियम 12 के उप नियम (2), नियम 15 के उप नियम (4) तथा नियम 17 के उप नियम (4) में किसी भी बात के होते हुए भी नियम 5 के उप नियम (1) के प्राप्त आवेदनों की प्रतियाँ या जाँच की प्रक्रिया में किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रदत्त कोई अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसकी गोपनीयता के संबंध में संतुष्ट होने पर ऐसी सूचना को गोपनीय माना जाएगा और ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना ऐसी सूचना किसी अन्य पक्षकार के समक्ष प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा हितबद्ध पक्षकारों से प्रस्तुत की गई किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा नहीं जाएगी और यदि सूचना यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार के विचार से ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव न हो तो उसका कारण बताते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(3) उप नियम की किसी बात के होते हुए भी यदि प्राधिकारी को यह विश्वास है (2) कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या उसे सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में प्रकट करने का प्राधिकार देने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।"

24. घरेलू उद्योग और अन्य प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में प्रस्तुत किए गए आवेदनों की, जहां तक संगत समझा गया, प्राधिकारी द्वारा जांच

की गई है और तदनुसार उनका समाधान किया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में विधिवत जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को, जहां कहीं भी आवश्यक हो, स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहां तक संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने कारोबार से संबंधित संवेदनशील सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है।

च. <u>विविध</u>

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोध

25. विविध मामलों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुररोध किए गए हैं:

क. याचिकाकर्ता द्वारा द्वितीयक स्रोत के रूप में उपयोग में लाया गया अपूर्ण और अविश्वसनीय आयात डेटा विश्वसनीय नहीं है। प्राधिकारी को डीजीसीआई एंड एस से आयात संबंधी आंकड़े प्राप्त किए जाने चाहिए और घरेलू उद्योग को हुई क्षति और पाटन की जांच करने के लिए उस पर भरोसा रहना चाहिए।

ख. मांग व आपूर्ति में काफी अंतर है। घरेलू निर्माता वर्तमान में भारत की कोपोलिमर पॉलीओल की मांग का करीब 30-40% हिस्सा ही पूरा कर पाते हैं।

ग. याचिका के विभिन्न पृष्ठों पर प्रदान किए गए सूचित पहुंच मूल्यों में विसंगति है।

घ. आवेदक के पास गुणवत्ता, स्थिरता, आपूर्ति क्षमता और कीमत के संबंध में अभाव है।

ङ. सकल अचल परिसंपत्तियों पर 22% का प्रतिफल अत्यधिक बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया है और कानून के अनुरूप नहीं है।

च.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

26. विविध मामलों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. चूंकि डीजीसीआई एंड एस के आयात संबंधी आंकड़े सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं हैं, अत: आवेदन के प्रयोजनार्थ द्वितीयक स्रोत के आंकड़े स्वीकार करना प्राधिकारी की मानक प्रथा रही है। प्राधिकारी अपनी प्रथा के अनुसार जांच के प्रयोजनार्थ डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों पर विचार कर सकते है।

ख. घरेलू उद्योग का उद्देश्य आयातों को प्रतिबंधित करना नहीं है, बल्कि समान अवसर प्रदान करना है। यही कारण है कि अनेक मामलों में प्राधिकारी ने मांग व आपूर्ति का अंतर होने के बावजूद शुल्क लगाया है। यह उल्लेखनीय है कि चीन जन. गण. से तेजी से पाटन होने के कारण आवेदक की क्षमता का अत्यधिक कम उपयोग (32%) हो रहा है। ऐसे में, क्षमता वृद्धि होने से घाटा और भी बढ़ जाएगा।

ग. घरेलू उद्योग की वर्तमान क्षमता अधिकांश भारतीय मांग को पूरा करने के लिए है। आवेदक अपनी क्षमता में और भी वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है, जब वह लाभकारी घरेलू बिक्री आय प्राप्त करने और अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में सक्षम हो जाएगा।

घ. बिना किसी पूर्वाग्रह के, यह अनुरोध किया जाता है कि कानून में यह प्रावधान नहीं है कि मांग व आपूर्ति में अंतर होने की स्थिति में शुल्क नहीं लगाया जा सकता।

ड़. पृष्ठ 41 पर और आवेदन के अन्य खंडों में प्रदान किया गया पहुंच मूल्य सही है। पृष्ठ 42 पर एक टाइपिंग त्रुटि है।

च. उत्पाद की स्थिरता/ गुणवत्ता, आपूर्ति क्षमता और मूल्य के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं और इसलिए, अस्वीकार किए जाते हैं। निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग का उत्पाद बाजार में अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है।

- घरेलू उद्योग चीन की किसी भी कंपनी की तुलना में पॉलिमर की अधिक मात्रा (49%) के पॉलिमर पॉलीओल को विकसित और आपूर्ति करने वाला पहला उद्योग था।

- घरेलू उद्योग भारत में एकमात्र कंपनी है जिसे बीआईएस प्रमाण पत्र प्राप्त है। भारत में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री करने वाली चीन की किसी भी कंपनी या भारत के बाहर की किसी भी अन्य कंपनी ने बीआईएस प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है।

- जांच की अवधि में भारतीय मांग का करीब 37% घरेलू उद्योग द्वारा पूरा किया गया था।

छ. प्राधिकारी अपनी सतत प्रथा के अनुसार नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिफल की अनुमति देता है। हम प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि इस जांच में भी इसकी अनुमति दी जाए।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

27. हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा द्वितीयक स्रोत के रूप में प्रयोग किए गए अपूर्ण और अविश्वसनीय आयात डेटा विश्वसनीय पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि डीजी सिस्टम्स से क्षति अवधि और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेन-देन-वार विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। वित्तीय वर्ष 2020-21 को छोड़कर, प्राधिकारी को यह विवरण प्राप्त हो गया है। तदनुसार, द्वितीयक स्रोत पर आधारित वित्तीय वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के साथ वर्तमान प्रकटीकरण विवरण के लिए इस पर विचार किया गया है।

28. मांग व आपूर्ति के अंतर के संबंध में, प्राधिकारी ने यह पाया है कि चीन जन. गण. से तेजी से पाटन होन के कारण आवेदक की क्षमता का अत्यधिक कम उपयोग (32%) हो रहा है। ऐसे में, क्षमता वृद्धि होने से घाटा और भी बढ़ जाएगा। घरेलू उद्योग की वर्तमान क्षमता भारतीय मांग के अधिकांश हिस्से को पूरा करने के लिए

है। आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि वह अपनी क्षमता में और वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है, जब वह लाभकारी घरेलू बिक्री आय प्राप्त करने और अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में सक्षम हो जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि जांच का उद्देश्य आयातों को प्रतिबंधित करना नहीं है, बल्कि घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करना है।

29. उत्पाद की गुणवत्ता पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मामले के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह साबित करने के लिए कोई निर्णायक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित पीयूसीविचाराधीन उत्पाद उनके उत्पाद के समान वस्तु नहीं है।

30. हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि सकल अचल परिसंपत्तियों पर 22% का प्रतिफल अत्यधिक बढ़ा-चढ़ा कर दर्शाया गया है और कानून के अनुरूप नहीं है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि 22% की अनुमति प्राधिकारी की मानक प्रथा के अनुसार है।

छ. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन</u>

छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

31. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. प्रश्नावली का पूरा उत्तर प्रस्तुत किया गया है और इसके सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में पूरी सूचना प्रदान की गई है।

ख. प्राधिकारी को प्रतिवादी द्वारा प्रदान की गई वास्तविक सूचना के आधार पर व्यक्तिगत पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण करना चाहिए।

ग. चीन जन. गण. की बाजार अर्थव्यवस्था के विकास के आधार पर चीन जन. गण.को "बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा" प्रदान किया जाए।

घ. यूएसए से आयात कीमत को चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य माना जाए।

छ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

32. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 8 के अनुसार चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए, क्योंकि पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी या डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों के अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की गई अनेकों पाटनरोधी जांचों के प्रयोजनों के लिए इसे एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है, जब तक कि संबंधित फर्म/ उत्पादक /निर्यातक पैरा 8(2) में निर्धारित मानदंडों के आधार पर उक्त धारणा का खंडन करने में सक्षम न हों।

ख. चीन की फर्मों के लिए सामान्य मूल्य अनुबंध I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदकों ने चीन जन. गण. में घरेलू कीमतों की सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया है। तथापि, आवेदक संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के लिए कोई कीमत संबंधी विवरण प्राप्त करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि यह सूचना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। अत:, घरेलू उद्योग ने समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत के आधार पर, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए, विधिवत समायोजित, इसके लिए सामान्य मूल्य का निर्माण किया है।

ग. किसी भी सहयोगी उत्पादक/ निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों पर पूरक प्रश्नावली प्रस्तुत नहीं की है। अत:, एमईटी प्रदान नहीं किया जा सकता। इसलिए, सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक I के पैरा 8 के अनुसार किया जाना है।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

<u>सामान्य मूल्य</u>

33. डब्ल्यूटीओ में चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 के तहत प्रावधान इस प्रकार है :

"जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे :

(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांच अधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतें के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है :

(i) यदि जांच अधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने

वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैरा (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटरवेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैरा (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

34. यह नोट किया जाता है कि जबकि अनुच्छेद 15 (क) (ii) में निहित प्रावधान दिनांक 11.12.2016 को समाप्त हो गए है, डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधानों के साथ पठित एक्सेशन प्रोटोकॉल में 15 (क) (i) के तहत दायित्व के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति का दावा किए जाने पर पूरक प्रश्नावली में प्रदान की जाने वाली सूचना/ डेटा के माध्यम से नियमावली के अनुलग्नक I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को पूरा किए जाने की आवश्यकता है।

35. चूंकि चीन जन.गण. से किसी भी उत्पादक ने प्रश्नावली के उत्तर में बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी पूरक प्रश्नावली प्रस्तुत नहीं की है, , अत: सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया गया है, जिसका पाठ इस प्रकार है:

7.''गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्वित रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा । जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा । जांच से संबंधित पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी । ''

8.(1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" वाक्यांश का अर्थ कि देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धांतों का लागू नहीं करने वाले के रूप में मानते हैं। जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं कि बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य नहीं दर्शाती है।"

(2)यह कहना पूर्वानुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्ल्यू.टी.ओ. के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप-पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्याः (क)*ऐसे देश में कच्ची सामग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और*

श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार कीमतों को दर्शाती है; (ख) *ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाए गए विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है। खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसंपत्तियों के ह्रास अन्य बट्टे खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में;* (ग) *ऐसी फर्म दिवालिया तथा संपत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्म के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है (घ)विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं, तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धांतों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं।*

(4) तथापि, उप पैरा (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में मान सकते हैं जिसे संगत मानदंडों, जिनमें उप पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंड शामिल हैं, के नवीनतम विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर किसी देश द्वारा, जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है, पाटनरोधी जांचों के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन के प्रकाशन द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में माना गया है अथवा माने जाने के लिए निर्धारित किया गया है।

36. पैरा 7 सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्रक्रिया का क्रम निर्धारित करता है और यह प्रावधान करता है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित कीमत के आधार पर, या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को कीमत के आधार पर, या जहाँ यह संभव न हो, किसी भी उचित आधार पर, जिसमें समान वस्तु के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत जिसे यदि आवश्यक हो, तो उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित किया गया हो, शामिल है, के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध-I के तहत प्रदान किए गए विभिन्न

क्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाना आवश्यक है।

37. यह नोट किया जाना चाहिए कि प्रथम और द्वितीय पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना के लिए पक्षकारों द्वारा कोई जानकारी/साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। उपरोक्त जानकारी/साक्ष्य के अभाव में, प्राधिकारी प्रथम या द्वितीय पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने में असमर्थ हैं। इसलिए, प्राधिकारी ने तृतीय पद्धति, अर्थात् जाँच अवधि के दौरान भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत सहित किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य कीमत की गणना करने का निर्णय लिया है। प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का परिकलन भारत में भुगतान की गई या देय कीमत के आधार पर किया है।

<u>निर्यात कीमत</u>

<u>वानहुआ केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड (संबंधित उत्पादक/निर्यातक), वानहुआ केमिकल (सिंगापुर) प्रा. लिमिटेड, सिंगापुर (संबंधित निर्यातक), वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, भारत (संबंधित आयातक) के लिए निर्यात कीमत</u>

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वानहुआ केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक) ने अपने संबंधित निर्यातक, वानहुआ केमिकल (सिंगापुर) प्रा. लिमिटेड, सिंगापुर के माध्यम से संबंधित और असंबंधित भारतीय उपभोक्ताओं को भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया। उत्पादक/निर्यातक ने पूर्ण प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया है और निवल निर्यात कीमत (एनईपी) निर्धारित करने के लिए जानकारी प्रदान की है। समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय माल भाड़ा, ऋण लागत आदि पर होने वाले व्यय को उनकी निर्यात कीमतों से घटा दिया गया है। उपरोक्त व्ययों के समायोजन के बाद, भारित औसत निवल कारखाना-द्वार निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

<u>जियाहुआ केमिकल (बिनझोउ) कंपनी लिमिटेड (संबंधित उत्पादक/निर्यातक), शंघाई फुजिया फाइन केमिकल कंपनी लिमिटेड (संबंधित उत्पादक/निर्यातक), जिया हुआ</u>

<u>केमिकल क्वानझोउ कंपनी लिमिटेड (संबंधित उत्पादक/निर्यातक), जियाहुआ पैसिफिक (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड (संबंधित निर्यातक) के लिए निर्यात कीमत</u>

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जियाहुआ केमिकल (बिनझोउ) कंपनी लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक) ने अपने संबंधित निर्यातकों अर्थात् शंघाई फुजिया फाइन केमिकल कंपनी लिमिटेड, जिया हुआ केमिकल क्वानझोउ कंपनी लिमिटेड, जियाहुआ पैसिफिक (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से असंबंधित भारतीय उपभोक्ताओं को भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया। उत्पादक/निर्यातक ने पूर्ण प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है और निवल निर्यात कीमत (एनईपी) निर्धारित करने के लिए जानकारी प्रदान की है। समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, ऋण लागत आदि के कारण होने वाले खर्चों को उनकी निर्यात कीमतों से घटा दिया गया है। उपरोक्त व्ययों के समायोजन के पश्चात भारित औसत निवल कारखाना-द्वार निर्यात कीमत निर्धारित की गई है तथा उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

<u>असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत</u>

40. चीन जनवादी गणराज्य के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, निर्यात कीमत पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। चीन जनवादी गणराज्य के सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित हैं:

<u>पाटन मार्जिन</u>

41. संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

पाटन मार्जिन तालिका

उत्पादक का नाम	सामान्य मूल्य	एनईपी	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन

	(अम.डा./एमटी)	(अम.डा./एमटी)	(अम.डा./एमटी)	%	रेंज%
मेसर्स वानहुआ केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
जियाहुआ केमिकल (बिनझोउ) कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
जिया हुआ केमिकल क्वांझोउ कंपनी लिमिटेड,	***	***	***	***	20-30
शंघाई फुजिया फाइन केमिकल कं. लि.	***	***	***	***	20-30
अन्य	***	***	***	***	40-50

ज. <u>क्षति निर्धारण, क्षति की जाँच और कारणात्मक संबंध के लिए पद्धति</u>

ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

42. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयात के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

ख. चीन जनवादी गणराज्य से आयात में वृद्धि से घरेलू उद्योग को विशेष रूप से मांग के संदर्भ में विचार करने पर, कोई क्षति नहीं हुई है, । मांग में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति रही है, जो 2020-21 में 100 मीट्रिक टन से बढ़कर जांच अवधि में 196 मीट्रिक टन हो गई है।

ग. घरेलू उद्योग की मांग और बिक्री दोनों में निरंतर वृद्धि इस स्थिति का समर्थन करती है कि चीन जनवादी गणराज्य से आयात से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है, जो अनुकूल बाजार स्थितियों के कारण प्रतिस्पर्धी बना हुआ है।

घ. चीन जनवादी गणराज्य से आयात ने घरेलू उद्योग के कीमत निर्धारण ढांचे पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डाला है।

ङ. घरेलू उद्योग ने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया है और संबद्ध देश से आयात से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

च. कुल और घरेलू बिक्री दोनों में लगातार वृद्धि हुई है, जो 2020-21 में 100 मीट्रिक टन से 166% बढ़कर जांच अवधि में 266 मीट्रिक टन हो गई है। यह घरेलू उद्योग के लिए मांग और बाजार निष्पादन में एक मजबूत वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

छ. उत्पादन के दिनों की संख्या के रूप में औसत मालसूची 2020-21 में 100 दिनों से 13% घटकर जांच अवधि में 87 दिन हो गई है। यह कमी बेहतर मालसूची प्रबंधन और संभवतः तेज उत्पादन चक्र का संकेत देती है।

ज. वेतन और मजदूरी में 161% की काफी अधिक वृद्धि हुई है, जो 2020-21 में 100 के सूचकांक मूल्य से जांच अवधि में 261 हो गई है, जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

झ. प्रति कर्मचारी प्रति दिन उत्पादकता में भी 112% की वृद्धि हुई है, जो समग्र कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाती है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

ञ. प्राधिकारी को इस बात की गंभीरता से जांच करनी चाहिए कि स्थापित क्षमता में किसी वृद्धि के अभाव में और अचल परिसंपत्तियों में अपेक्षाकृत कम वृद्धि के बावजूद औसत नियोजित पूंजी में किस प्रकार वृद्धि हुई है।

ट. घरेलू उद्योग को अन्य कारकों के कारण क्षति हुई है, न कि चीन जनवादी गणराज्य से आयात के कारण।

ज.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

43. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. क्षति की संपूर्ण अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई। आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग में 96% की वृद्धि हुई।

ख. चीन जनवादी गणराज्य से आयात आधार वर्ष के 4,988 मीट्रिक टन से जांच अवधि में 19,338 मीट्रिक टन तक उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया, अर्थात लगभग 287% की वृद्धि हुई। यह भी नोट किया जाता है कि चीन जनवादी गणराज्य से आयात भी जांच अवधि में तत्काल पिछले दो वर्षों की तुलना में काफी बढ़ गया है।

ग. चीन जनवादी गणराज्य से आयात कुल आयात का लगभग 94% है। यह नोट किया जा सकता है कि परंपरागत रूप से, भारत में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) का आयात यूरोप, अमेरिका, थाईलैंड और कोरिया से किया जाता था। तथापि, चीन जनवादी गणराज्य से पाटन के कारण, अन्य देशों के सभी पारंपरिक निर्यातक भारतीय बाजार से बाहर हो गए।

घ. आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में मांग में चीन जन गण से आयात का हिस्सा 98% तक उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया। यह भी नोट किया जाता है कि मांग में चीन जन गण से आयात का हिस्सा भी जांच की अवधि में ठीक पिछले दो वर्षों की तुलना में काफी बढ़ गया है।

ड़. भारत के उत्पादन में चीन जन. गण. से आयात का हिस्सा वित्त वर्ष 2021 में सूचकांक - 100 से जांच की अवधि में सूचकांक - 142 तक उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया।

च. मांग में घरेलू उद्योग का हिस्सा ठीक पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 15% तक कम हो गया।

छ. पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन न केवल सकारात्मक हैं बल्कि काफी अधिक भी हैं।

ज. क्षति अवधि के दौरान, चीन जन. गण. से आयात का पहुंच मूल्य लगातार बिक्री की लागत से कम रहा। इसने घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में लाभकारी बिक्री कीमत प्राप्त करने से अवरूद्ध कर दिया है।

झ. घरेलू उद्योग को चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयात के कारण क्षति हुई है।

ञ. संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जनवादी गणराज्य के बीच टैरिफ युद्ध के कारण चीन जनवादी गणराज्य से आक्रामक पाटन के कारण जांच की अवधि के बाद घरेलू उद्योग को हुई क्षति और अधिक बढ़ गई है।

ट. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा लगाए गए इस आरोप का संबंध है कि घरेलू उद्योग को चीन जनवादी गणराज्य से आयात के कारण नहीं बल्कि अन्य कारकों के कारण क्षति हुई है, यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त सूचना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयात के कारण क्षति हुई है। किसी पूर्वाग्रह के बिना, यह अनुरोध किया जाता है कि कानून में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग को हुई क्षति का एकमात्र कारण होगा। प्राधिकारी ने अनेक जांचों में इसी दृष्टिकोण को बरकरार रखा है। इसलिए, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा लगाए गए आरोप को सिरे से खारिज किया जाना चाहिए।

ठ. हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा कि कोई कंपनी क्षति नहीं उठा सकती क्योंकि वे एकमात्र उत्पादक हैं, तथ्यों और कानून दोनों के आधार पर गलत है। यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी ने अनेक मामलों में, उन मामलों में भी शुल्कों की सिफारिश की जहां आवेदक उद्योग एकमात्र उत्पादक था। यह अनुरोध किया गया है कि चीन द्वारा बहुत कम कीमत पर भारी पाटन के कारण अन्य कंपनियाँ भारत में पीयूसी का निर्माण नहीं कर रही हैं। उनके लिए पीयूसी के निर्माण में निवेश करना व्यावसायिक रूप से अव्यावहारिक है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जॉच

44. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।

45. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच के लिए, उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सूचकांकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर नियमावली के अनुबंध II के अनुसार विचार किया गया है।

46. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में प्रस्तुत विभिन्न अनुरोधों पर ध्यान दिया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में प्रस्तुत अनुरोध, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माना गया है, की जाँच की गई है और उनका समाधान निम्नानुसार किया गया है।

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मानदंड गिरावट दर्शाते हों। कुछ मानदंड गिरावट दर्शा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य नहीं दर्शा सकते हैं। प्राधिकारी सभी क्षति मानदंडों पर विचार करते हैं और उसके बाद यह निर्धारित करते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति हुई है या होने की संभावना है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों पर विचार करते हुए क्षति मानदंडों की वस्तुनिष्ठ रूप से जाँच की है।

ज.3.1. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) माँग का आकलन

48. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की माँग या स्पष्ट खपत का निर्धारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में किया है। इस प्रकार अनुमानित माँग नीचे तालिका में दी गई है।

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	138	220	266

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
चीन जनवादी गणराज्य से आयात	एमटी	4988	3251	7446	18916
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	65	149	379
अन्य देशों से आयात	एमटी	7163	7014	12148	2023
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	170	28
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	एमटी	-	-	-	-
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	-
कुल माँग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	177	198

49. प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

- चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं का आयात आधार वर्ष में 100 सूचकांक अंकों से बढ़कर जांच अवधि में 379 सूचकांक अंक हो गया। संपूर्ण क्षति की अवधि के दौरान चीन जनवादी गणराज्य से आयात में वृद्धि हुई।

- अन्य देशों से आयात आधार वर्ष में 100 सूचकांक अंकों से घटकर जांच अवधि में 28 सूचकांक अंक रह गया।

- मांग में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री में आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में वृद्धि हुई। तथापि, यह चीन जनवादी गणराज्य से आयात में वृद्धि के अनुपात में नहीं है।

- आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तत्काल पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि में मांग में भी वृद्धि हुई।

ख) आयात मात्रा और संबद्ध देश का हिस्सा

50. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में, समग्र रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध

में, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने वित्त वर्ष 20-21 को छोड़कर, डीजी सिस्टम्स के सौदा-वार आंकड़ों पर भरोसा किया है, जिसे द्वितीयक स्रोत पर आधारित माना गया था। क्षति जाँच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की आयात मात्रा और उसका हिस्सा इस प्रकार है:

विवरण	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई**
चीन जन गण से आयात	एमटी	4988	3251	7446	18916
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	65	149	379
भारत में कुल आयात	एमटी	12151	10265	19594	20939
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	84	161	172
घरेलू उद्योग का उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	140	219	272
मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	177	198
निम्न के संबंध में संबद्ध देश के आयात					
कुल आयात	%	41.0%	32%	38%	90%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	77	93	220
घरेलू उद्योग का उत्पादन	%	***%	*** %	*** %	***%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	46	68	139
मांग	%	***%	*** %	*** %	***%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	66	84	192

51. प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

- क्षति अवधि के दौरान चीन जनवादी गणराज्य से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। मांग में चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयात का

हिस्सा आधार वर्ष में 100 सूचकांक अंकों से बढ़कर जांच अवधि में 192 सूचकांक अंक हो गया।

- घरेलू उत्पादन के संबंध में चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयात का हिस्सा आधार वर्ष में 100 सूचकांक अंकों से बढ़कर जांच अवधि में 139 सूचकांक अंक हो गया।

ज.3.2. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

52. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना आवश्यक है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा कीमत में उल्लेखनीय कटौती की गई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को कम करने या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्य रूप से बढ़ गई होती।

53. तदनुसार, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच कीमत कटौती और कीमत ह्रास/न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध आयातों के पंहुच मूल्य के साथ की गई है।

क) कीमत कटौती

54. उचित तुलना के लिए जांच अवधि के दौरान कीमत कटौती नीचे दी गई है:

विवरण	**यूओएम**	**कीमत कटौती**
पंहुच कीमत	रु./एमटी	118410
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./एमटी	***
कीमत कटौती	रु./एमटी	***
कीमत कटौती	%	***%
रेंज	रेंज	10-20

55. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि में संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है और घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रही है।

ख) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

56. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास या न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव घरेलू कीमतों को महत्वपूर्ण सीमा तक कमी करना है या घरेलू कीमतों में ऐसी वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा काफी अधिक सीमा तक बढ़ गई होती, प्राधिकारी उचित तुलना के लिए घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित पीसीएन के लिए क्षति अवधि के दौरान लागत और कीमतों में हुए परिवर्तनों को नोट करते हैं।

विवरण	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई**
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	88	74	65
बिक्री प्राप्ति	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	107	81	73
पंहुच कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	96	84	70

57. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुँच कीमत आधार वर्ष में 100 सूचकांक अंक से घटकर जाँच अवधि में 70 सूचकांक अंक रह गई। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुँच कीमत जाँच अवधि के दौरान बिक्री लागत और बिक्री प्राप्ति से भी कम थी। इससे घरेलू उद्योग पर कीमत ह्रास और न्यूनीकरण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

ज.3.3. घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मानदंड

58. नियमावली के अनुबंध II में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जाँच शामिल होगी। नियमावली में उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी संगत आर्थिक

मापदंडों और सूचकांकों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन का भी प्रावधान है, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

59. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री और औसत मालसूची का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई**
स्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन (पीयूसी)	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	140	219	272
क्षमता उपयोग	%	***%	***%	***%	***%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	140	219	272
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	138	220	266
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	136	134	237

60. प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

- मांग में वृद्धि के कारण जांच अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई। तथापि, घरेलू उद्योग के उत्पादन आदि में वृद्धि संबद्ध देश से आयात में वृद्धि के अनुपात में नहीं है।

- चीन जनवादी गणराज्य से पाटन के कारण औसत मालसूची आधार वर्ष के 100 सूचकांक अंकों से जांच अवधि में 237 सूचकांक अंकों तक उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई थी।

ख) बाजार हिस्सा

61. क्षति अवधि के दौरान बाजार हिस्से के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
चीन जन. गण. से आयात	एमटी	4988	3251	7446	18916
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	65	149	379
अन्य देशों से आयात	एमटी	7163	7014	12148	2023
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	170	28
घरेलू उद्योग की बिक्रियॉ	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	138	220	266
कुल माँग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	177	198
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	%	***%	***%	***%	***%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	140	124	135
चीन जन गण के आयातों का बाजार हिस्सा	%	*** %	***%	***%	***%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	66	84	192

62. प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

- चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं का आयात आधार वर्ष में 100 सूचकांक अंकों से बढ़कर जांच अवधि में 379 सूचकांक अंक हो गया।

- क्षति की अवधि में चीन जनवादी गणराज्य से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। मांग में चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयात का हिस्सा आधार वर्ष में 100 सूचकांक अंकों से बढ़कर जांच अवधि में 192 सूचकांक अंक हो गया। घरेलू

उत्पादन में चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयात का हिस्सा भी पिछले वर्षों की तुलना में जांच अवधि में बढ़ा है।

- मांग में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा बढ़ा। तथापि, यह मांग में संबद्ध देश के बाजार हिस्से में वृद्धि की तुलना में अनुपात की तुलना में कम है।

ग) लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर आय

63. क्षति अवधि के दौरान लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई**
कर पूर्व लाभ	रु./एमटी	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-5	-41	-32
कर पूर्व लाभ	लाख रुपये	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-6	-91	-85
नकद लाभ	लाख रुपये	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-0.00	-89	-80
नियोजित पूंजी पर आय	%	(***%)	(***%)	(***%)	(***%)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-3	-33	-22

64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी चीन जनवादी गणराज्य से पाटित आयातों के कारण क्षति की पूरी अवधि में घाटे में चल रही है।

घ) मालसूची

65. क्षति अवधि के दौरान मालसूची के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई**
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	136	134	237

66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य से आयात में भारी वृद्धि के कारण जांच अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है।

ड़) उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी

67. क्षति अवधि के दौरान उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई**
प्रतिदिन उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	140	219	272
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी	***		***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	181	212
कर्मचारियों की संख्या	एमटी.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	121	129
वेतन और मजदूरी	लाख रुपये	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	172	258	261

68. उत्पादन में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। यह नोट किया जाता है कि उत्पादन में वृद्धि चीन जनवादी गणराज्य से आयात में वृद्धि के अनुपात में नहीं है।

च) वृद्धि

69. चीन जनवादी गणराज्य से पीयूसी की पाटन के कारण घरेलू उद्योग को लाभकारी बिक्री कीमत प्राप्त नहीं हो पा रही है, जिसके परिणामस्वरूप पीबीआईटी, नकदी प्रवाह, आरओसीई आदि नकारात्मक हो रहे हैं। इसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया हैं।

विवरण	**यूओएम**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**पीओआई**
पीबीटी	रु./एमटी	(***)	(***)	(***)	(***)

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-5	-41	-32
नकद लाभ	लाख रुपये	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-0.00	-89	-80
आरओसीई	%	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-3	-33	-22

छ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

70. संबद्ध देशों से आयात कीमतों, लागत संरचना में परिवर्तन और घरेलू बिक्री कीमत की जाँच से पता चलता है कि संबद्ध देश से आयातित सामग्री की पहुँच कीमत, बिक्री कीमत के साथ-साथ घरेलू उद्योग की लागत से भी कम है, जिससे कीमत में कटौती हो रही है। कीमत में कटौती के कारण भारतीय बाजार में कीमत ह्रास और न्यूनीकरण हुआ है। जाँच अवधि में संबद्ध वस्तुओं की माँग बढ़ी है, इसलिए यह घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला कारक नहीं हो सकता है।

ज) पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता

71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की आगे कोई भी पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता काफी कम हो गई है, जिससे घरेलू उद्योग घाटे में चल रहा है। घरेलू उद्योग आगे पूँजी निवेश जुटाने की स्थिति में नहीं है।

झ) पाटन मार्जिन की मात्रा

72. यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक और काफी अधिक है।

झ. <u>गैर-आरोपण विश्लेषण</u>

73. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी को, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों के अतिरिक्त ऐसे किसी भी ज्ञात कारक की जाँच करनी आवश्यक है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं, ताकि इन अन्य कारकों से होने वाली क्षति को

पाटित आयातों के कारण नहीं माना जाए। इस संबंध में संगत कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, माँग में कमी या उपभोग के स्वरूप में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन एवं उत्पादकता शामिल हैं। नीचे इस बात की जाँच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अतिरिक्त अन्य कारकों ने भी क्षति में वृद्धि की गई हो सकती है।

क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

74. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच अवधि के दौरान गैर-संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात या तो न्यूनतम है या उसकी कीमतें चीन जनवादी गणराज्य की तुलना में काफी अधिक हैं।

ख) मांग में संकुचन

75. विचाराधीन उत्पाद की मांग में जांच अवधि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसलिए, मांग में संकुचन घरेलू उद्योग के लिए क्षति का कारण नहीं हो सकता है।

ग) निर्यात निष्पादन और आबद्ध खपत

76. घरेलू उद्योग न तो निर्यात बिक्री में कार्यरत है और न ही संबद्ध वस्तुओं का आबद्ध उपभोग के लिए उपयोग कर रहा है। इसलिए, ऊपर जांच की गई क्षति संबंधी जानकारी केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है।

घ) प्रौद्योगिकी का विकास

77. प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

ङ) कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन

78. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के उद्देश्य से केवल विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) से संबंधित जानकारी पर विचार किया है।

च) व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

79. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ नहीं हैं जिन्हें घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति का कारण माना जा सके।

छ) उपभोग की प्रवृत्ति में परिवर्तन

80. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में भारत में उपभोग की प्रवृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ञ. <u>क्षति मार्जिन का मात्रा</u>

81. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति-रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति-रहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण जांच अवधि के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई विधिवत सत्यापित उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए, क्षति-रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की पंहुच कीमत के साथ की गई है। क्षति-रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित करने के लिए, क्षति अवधि के दौरान कच्ची सामग्री और सुविधाओं के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण या अनावर्ती व्ययों को उत्पादन लागत से बाहर रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात, औसत निवल अचल परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित आय (कर-पूर्व 22% की दर से) को नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित एनआईपी ज्ञात करने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।

82. ऊपर यथा निर्धारित पहुंच कीमत और एनआईपी के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्षति मार्जिन तालिका

उत्पादक का नाम	**एनआईपी (अम.डा./एमटी)**	**एलवी (अम.डा./एमटी)**	**क्षति मार्जिन (अम.डा./एमटी)**	**क्षति मार्जिन (अम.डा./एमटी)**	**क्षति मार्जिन रेंज%**
वानहुआ केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
जियाहुआ केमिकल (बिनझोउ) कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
जिया हुआ केमिकल क्वानझोउ कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
शंघाई फुजिया फाइन केमिकल कं. लि.	***	***	***	***	10-20
अन्य	***	***	***	***	20-30

ट. <u>भारतीय उद्योग का हित</u>

ट.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

83. वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा।

84. पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग को भारतीय बाजार में एकाधिकार प्राप्त हो जाएगा। इससे प्रतिस्पर्धी दबाव समाप्त हो जाएगा, जिससे प्रयोक्ता उद्योगों के लिए

कीमतें बढ़ जाएँगी और आपूर्ति संबंधी बाधाएँ उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि घरेलू उद्योग को संपूर्ण बाजार माँग को कुशलतापूर्वक पूरा करने में कठिनाई हो सकती है।

85. घरेलू उद्योग की सीमित क्षमता और वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली प्रतिस्पर्धी कीमतों के कारण प्रयोक्ता उद्योग आयात पर निर्भर है। आयात पर प्रतिबंध लगाने से आपूर्ति की कमी उत्पन्न होगी, जिससे इस आवश्यक कच्ची सामग्री पर निर्भर रहने वाले डाउनस्ट्रीम उद्योगों में संभावित रूप से व्यवधान उत्पन्न होगा।

ट.2. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

86. अंतिम उपयोग उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य है।

87. भारत में 200 से अधिक बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयाँ इसी प्रकार के लचीले फोम और गद्दों के निर्माण में कार्यरत हैं और इनका संयुक्त आकार शीला फोम की सभी विनिर्माण इकाइयों के संयुक्त आकार से कहीं अधिक है। शीला फोम को छोड़कर, भारत में किसी भी अन्य प्रयोक्ता कंपनी ने हमारे एडीडी आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं जताई है।

88. भारत में फोम (गद्दे) का आयात नहीं किया जा रहा है। अत:, शुल्क लगाने से उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित नहीं होगी।

ट.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

89. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से संबद्ध पाटनरोधी जाँच के संबंध में विचार आमंत्रित करते हुए एक राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने आयातकों/ प्रयोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है ताकि वे वर्तमान जाँच के संबंध में संगत जानकारी

प्रदान कर सकें, जिसमें उनके संचालन पर पाटनरोधी शुल्क का संभावित प्रभाव भी शामिल है। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद के एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग, उपभोक्ताओं की स्रोत बदलने की क्षमता, प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव आदि के बारे में जानकारी मांगी।

90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्यतः, पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित हो सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को लगाने का उद्देश्य किसी भी तरह से संबद्ध देश से आयातों को प्रतिबंधित करना नहीं है क्योंकि शुल्क का प्रभाव नगण्य है। व्यापार उपचारात्मक जाँच का उद्देश्य व्यापार विकृत करने वाले आयातों के विरुद्ध उचित शुल्क लगाकर घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करके घरेलू बाजार में समान प्रतिस्पर्धी अवसर बहाल करना है।

91. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयात की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से आयात में वृद्धि ने घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसके अतिरिक्त, यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की महत्वपूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है।

ठ. <u>प्रकटन पश्चात टिप्पणियाँ</u>

ठ.1 अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुतियाँ

92. अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रकटीकरण के बाद निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी गई हैं:

क). याचिका में प्रस्तुत साक्ष्य चीन जनवादी गणराज्य से पाटित आयातों के कारण हुई क्षति के निष्कर्ष का समर्थन नहीं करते हैं। यद्यपि हम क्षति के विभिन्न मानदंडों पर विचार करने के प्राधिकारी के विवेकाधिकार को स्वीकार करते हैं, तथापि क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान अनेक प्रमुख मानदंडों में निरंतर और पर्याप्त सुधार घरेलू उद्योग के सुदृढ़ और सुदृढ़ निष्पादन को दर्शाता है।

घरेलू उद्योग को कोई भौतिक क्षति नहीं हो रही है क्योंकि मात्रा प्रभाव, मूल्य प्रभाव का अभाव है और घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों पर आयातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

ख). पाटनरोधी शुल्क लगाना भारतीय उपयोगकर्ताओं के हितों के विरुद्ध है। एंटी-डंपिंग उपायों में सभी आर्थिक हितधारकों के हितों का संतुलन होना चाहिए। इसका उद्देश्य अनुचित व्यापार को रोकना है, न कि एकाधिकार स्थापित करना या कुछ घरेलू उत्पादकों को अनुचित लाभ पहुँचाना, खासकर जब हज़ारों डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ता इसमें शामिल हों। शुल्क आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकते हैं और आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता को सीमित कर सकते हैं। घरेलू उत्पादकों की सीमित संख्या और डाउनस्ट्रीम उद्योगों पर व्यापक प्रभाव को देखते हुए, पाटनरोधी शुल्क लगाना व्यापक जनहित में नहीं होगा। इसलिए हम प्राधिकरण से आग्रह करते हैं कि वह इस समय और शुल्क लगाने से परहेज करे।

ग). हालाँकि कानून में पात्रता के लिए पूर्ण एकीकरण या मूल्यवर्धन की स्पष्ट रूप से आवश्यकता नहीं है, फिर भी व्यावहारिक संदर्भ और उद्योग संरचना को ऐसे निर्धारणों के लिए आवश्यक होना चाहिए। एक्सपेंडेड पॉलीमर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड की आयातित कच्चे माल पर निर्भरता, जो एक्रिलोनाइट्राइल और स्टाइरीन जैसे महत्वपूर्ण घटकों के लिए 90% से अधिक है, जिनका कोई घरेलू उत्पादन नहीं है, मूल रूप से एंटी-डंपिंग कानूनों की इच्छित भावना के अनुसार घरेलू उद्योग के रूप में वर्गीकृत होने की इसकी क्षमता को सीमित करती है, जिनका उद्देश्य वास्तविक घरेलू विनिर्माण क्षमताओं की रक्षा करना है।

घ). यदि आवेदक विषयगत वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और उसका उत्पादन लगभग पूरी तरह से आयातित कच्चे माल पर निर्भर करता है, तो उसे स्वतः ही पात्रता नहीं मिल जाती। कानून का उद्देश्य घरेलू उत्पादन क्षमता और मूल्य श्रृंखलाओं की सुरक्षा करना है, जिन्हें एक्सपेंडेड पॉलीमर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड पूरी तरह से लागू नहीं करता है। इसलिए, इन तथ्यात्मक और परिचालन संबंधी वास्तविकताओं के आधार पर, एक्सपेंडेड पॉलीमर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को एंटी-डंपिंग ढांचे के तहत एक पात्र घरेलू उद्योग के रूप में मान्यता नहीं दी जानी चाहिए।

ङ). प्राधिकरण को 22% ROCE के यांत्रिक अनुप्रयोग से हटकर, ऐसा प्रतिफल निर्धारित करना चाहिए जो आर्थिक रूप से न्यायसंगत, साक्ष्य-आधारित और घरेलू नियमों और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं, दोनों के अनुरूप हो। उचित प्रतिफल, अविकृत प्रतिस्पर्धा की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वास्तविक

प्रदर्शन को प्रतिबिंबित करना चाहिए और प्रचलित आर्थिक संदर्भ के अनुरूप होना चाहिए।

च). प्राधिकरण का यह अवलोकन कि उत्तर देने वाले चीनी उत्पादकों/निर्यातकों ने पूरक एमईटी प्रश्नावली प्रस्तुत नहीं की, उनके लागत और मूल्य संबंधी आंकड़ों की उपेक्षा करने का पर्याप्त आधार नहीं है। 11 दिसंबर 2016 के बाद, चीन की कीमतों को लागू करने के उद्देश्य से बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ स्थापित करने की आवश्यकता अब मौजूद नहीं है। इसलिए, प्रस्तुत आंकड़ों को अस्वीकार करना और सरोगेट मूल्यों का सहारा लेना कानूनी रूप से अस्वीकार्य है। चीन जनवादी गणराज्य के विरुद्ध गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था पद्धतियों का निरंतर उपयोग विश्व व्यापार संगठन के "पैक्टा संट सर्वदा" सिद्धांत का उल्लंघन होगा, जो सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय संधि प्रतिबद्धताओं का सद्भावपूर्वक पालन करने के लिए बाध्य करता है। अतः, यह सादर अनुरोध है कि प्राधिकारी विश्व व्यापार संगठन के पाटनरोधी समझौते के अनुच्छेद 2 के अनुसार, उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सत्यापित आंकड़ों के आधार पर वर्तमान जाँच के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करे और चीन जनवादी गणराज्य के लिए सरोगेट देश पद्धतियों का उपयोग बंद करे।

ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियां

93. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण के बाद निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी गई हैं:

क). आवेदक क्षति की अवधि के दौरान भारत में विषयगत वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक भारतीय उत्पादन का 100% उत्पादन करता है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक ने क्षति की अवधि के दौरान विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं का आयात नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, आवेदक जांच अवधि के दौरान विषयगत वस्तुओं के किसी भी आयातक या निर्यातक से संबंधित नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, प्राधिकारी ने नियम 5(3) के साथ पठित पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 2(ख) के अर्थ में आवेदक को एक पात्र घरेलू उद्योग के रूप में उचित रूप से माना है।

ख). हमारे आवेदन में घरेलू उद्योग को हो रही वास्तविक क्षति के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। यह दोहराया जाता है कि चीन गणराज्य से डंप किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ग). शुल्क लगाने का उपयोगकर्ता उद्योग पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा। आवेदन में प्रभाव का विवरण पहले ही दिया जा चुका है। तदनुसार, हम इसे दोहरा नहीं रहे हैं। हमारा दावा

इस तथ्य से भी पुष्ट होता है कि भारत में लचीले फोम और गद्दों के निर्माण में 200 से अधिक कंपनियाँ शामिल हैं, जो पीयूसी को इनपुट के रूप में उपयोग कर रही हैं। हालाँकि, शेल फोम को छोड़कर, उनमें से किसी ने भी जाँच/शुल्क लगाने पर कोई अनुरोध/आपत्ति दर्ज नहीं की है।

घ). अनुच्छेद 15 (क) (ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं। विश्व व्यापार संगठन के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान, परिग्रहण प्रोटोकॉल के 15 (क) (i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित, बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने के लिए पूरक प्रश्नावली में प्रदान की जाने वाली जानकारी/आंकड़ों के माध्यम से नियमों के अनुबंध I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली दाखिल नहीं की। इसलिए, एमईटी प्रदान नहीं किया जा सकता। इसलिए, प्राधिकारी ने पाटन नियमावली के अनुबंध I के पैरा 8 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण सही ढंग से किया है।

ङ). प्रकटीकरण विवरण में दिए गए पाटन और क्षति मार्जिन की पुष्टि करने का अनुरोध किया जाता है। इसमें कोई परिवर्तन न करने का अनुरोध किया जाता है। घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वे प्रकटीकरण विवरण में दिए गए निष्कर्षों की पुष्टि अंतिम जांच परिणामों में करें। हम प्राधिकारी से यह भी अनुरोध करते हैं कि वे घरेलू उद्योग को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करें और यदि प्रकटीकरण विवरण से भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तावित किया जाता है, तो अपनी टिप्पणियाँ/अनुरोध प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान करें।प्राधिकरण अपनी सतत् प्रथा के अनुसार नियोजित पूंजी पर 22% आय की अनुमति देते हैं। हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे इस जाँच में भी इसकी अनुमति दें।

च). अनुरोध है कि कृपया स्थिर शुल्क लगाएँ क्योंकि कच्चे माल की लागत प्रमुख लागत है। कच्चे माल की कीमतों में उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव होता है। जाँच अवधि के बाद की अवधि में कच्चे माल की लागत में वृद्धि हुई है। ऐसे मामले में, संदर्भ आदि जैसे किसी अन्य रूप में कर्तव्यों को लागू करने से जांच का उद्देश्य विफल हो जाएगा और कर्तव्यों को अप्रभावी बना दिया जाएगा।

ठ.3 प्राधिकरण द्वारा जांच

94. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रकटीकरण-पश्चात प्रस्तुतियों की जाँच की है और नोट किया है कि ये केवल पुनरावृत्तियाँ हैं जिनकी पहले ही उचित जाँच की जा चुकी है और अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक अनुच्छेदों में पर्याप्त रूप से संबोधित किया गया है। संक्षिप्तता के लिए प्राधिकारी द्वारा प्रकटीकरण-पश्चात जाँच में इन्हें दोहराया नहीं

जा रहा है। हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियों/प्रस्तुतियों में उठाए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माने गए मुद्दों की नीचे जाँच की गई है।

95. हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग को चीन जन.गण. से आयात के कारण क्षति नहीं हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग चीन जन.गण. से पीयूसी की डंपिंग के कारण लाभकारी विक्रय मूल्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप पीबीआईटी, नकदी प्रवाह, आरओसीई आदि नकारात्मक हो गए हैं। प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणामों के प्रासंगिक पैराओं में इस मुद्दे की पहले ही पर्याप्त रूप से जांच कर ली है।

96. हितबद्ध पक्षों ने दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना भारतीय उपयोगकर्ताओं के हितों के विरुद्ध है। यह नोट किया जाता है कि अंतिम जांच परिणामों के प्रासंगिक अनुच्छेदों में इसी मुद्दे की पहले ही पर्याप्त रूप से जांच की जा चुकी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य सामान्य रूप से डंपिंग की अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को फिर से स्थापित किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। एंटी-डंपिंग उपायों को लगाने का उद्देश्य किसी भी तरह से संबद्ध देश से आयात को प्रतिबंधित करना नहीं है क्योंकि शुल्क का प्रभाव नगण्य है। व्यापार सुधारात्मक जांच का उद्देश्य व्यापार को विकृत करने वाले आयातों के खिलाफ उचित शुल्क लगाकर घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करके घरेलू बाजार में समान प्रतिस्पर्धी अवसर बहाल करना है।

97. 22% रिटर्न और एमईटी स्थिति के मुद्दे पर हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए दावे के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि ये प्रस्तुतियाँ हितबद्ध पक्षों द्वारा पहले की गई प्रस्तुतियों की पुनरावृत्ति मात्र हैं। प्राधिकरण ने अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक अनुच्छेदों में इन मुद्दों की पहले ही पर्याप्त रूप से जाँच कर ली है।

ड. <u>निष्कर्ष</u>

98. उपर्युक्त निष्कर्षों में दर्ज किए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना, हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, तथा घरेलू उद्योग के साथ पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

क). घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तु और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(घ) के अनुसार एक-दूसरे के समान वस्तुएँ हैं।

ख). आवेदक, नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर 'घरेलू उद्योग' है और आवेदन नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मानदंडों को पूरा करता है।

ग). संबद्ध देश से पाटन मार्जिन न केवल सकारात्मक है, बल्कि काफी अधिक भी है।

घ). संबद्ध देश से पाटित आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। क्षति मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।

ङ). ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अन्य कारण से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

99. प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण हुई है।

100. जनहित में यह ध्यान दिया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का अनुप्रवाह उत्पादों पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा। साथ ही, पाटनरोधी शुल्क आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगाता, बल्कि केवल यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित मूल्य पर बाज़ार में प्रवेश करें।

ढ. <u>सिफारिश</u>

101. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षों को सूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश से संबद्ध

वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों, उपयोगकर्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षों को पाटन, संबंध और कारण के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमों के नियम 5(3) के तहत जाँच शुरू करने और पाटनरोधी नियमों के नियम 17(1)(क) के तहत अपेक्षित पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में पाटनरोधी नियमों के नियम 6 के अनुसार जाँच करने तथा संबद्ध आयातों से संबद्ध देश के कारण घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति की पुष्टि करने के बाद, प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफ़ारिश करते हैं।

102. पाटनरोधी नियमावली के नियम 17(1)(ख) में उल्लिखित कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हटाने के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से, कमतर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी, संबद्ध देश मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए, नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कॉल संख्या 7 में दर्शाई गई राशि के बराबर, पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

<u>शुल्क तालिका</u>

क्र.सं.	**एचएस कोड**	**वस्तुओं का विवरण**	**मूलता का देश**	**निर्यात का देश**	**उत्पादक**	**शुल्क (अम.डा. $/एमटी)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	3907#	हाइड्रोक्सिल मान >= 23.5* का कोपालीमर पालीओल	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	वानहुआ केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड	225

2	*-वही-*	*-वही-*	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	जियाहुआ केमिकल (बिनझोउ) इंक.	173
3	*-वही-*	*-वही-*	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	जियाहूआ केमिकल कियानझोउ इंक.	173
4	*-वही-*	*-वही-*	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	शंघाई फुजिया फाइन केमिकल कंपनी लिमिटेड	173
5	*-वही-*	*-वही-*	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	क्रम संख्या 1 से 4 के अलावा कोई भी	285
6	*-वही-*	*-वही-*	चीन जन. गण. से इतर कोई देश	चीन जन. गण.	कोई अन्य उत्पादक	285

#सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

**विचाराधीन उत्पाद "हाइड्रॉक्सिल मान >= 23.5" वाला कोपोलिमर पॉलीओल है। तथापि, हाइड्रॉक्सिल मान >= 23.5 वाला पॉलिएस्टर पॉलीओल, पीयूसी के दायरे से बाहर है।*

ण. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

103. इस अंतिम जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध अपील अधिनियम/नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) के समक्ष की जाएगी।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ **महाजन**)
निर्दिष्ट प्राधिकारी